गोपनीय

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव।

अर्द्धशासकीय पत्र सं०-1245/39-2-08
12(5)/74
सतर्कता अनुभाग-2
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ : दिनांक 28 नवम्बर, 2008

प्रिय महोदय,

लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की सतर्कता जांच कराये जाने एवं सतर्कता जांच के उपरान्त सतर्कता विभाग की संस्तुतियों से भिन्न कार्यवाही किये जाने हेतु 'राज्य सतर्कता समिति' का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य सचिव के संलग्न अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2020/39(2)/12(5)/74, दिनांक 12 सितम्बर, 1995 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है।

2–यह देखा जा रहा है कि 'राज्य सतर्कता समिति' के समक्ष सतर्कता जांच कराये जाने एवं सतर्कता विभाग की संस्तुति से भिन्न कार्यवाही के मामलों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के पूर्व प्रायः प्रशासकीय विभागों द्वारा अपने प्रभारी मंत्री जी अथवा मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है। जब इस प्रकार के मामले समिति के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो असमंजसपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है एवं निर्णय लेने में कठिनाई होती है। प्रशासकीय विभागों द्वारा की जाने वाली उक्त कार्यवाही पत्र दिनांक 12-09-1995 में निर्धारित विहित प्रक्रिया का उल्लघंन है। यह स्थिति चिन्ताजनक है।

3–अतः उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 12-9-1995 की ओर आपका ध्यान पुनः आकर्षित करते हुए मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि भविष्य में किसी मामले में सतर्कता जांच कराये जाने के सम्बन्ध में तथा सतर्कता जांच के उपरान्त सतर्कता विभाग की संस्तुति से भिन्न कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में 'राज्य सतर्कता समिति' के विचारार्थ प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के पूर्व किसी भी दशा में कृपया मा० प्रभारी मंत्री जी/मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त न किया जाय, ताकि विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही होने के पश्चात् मा० प्रभारी मंत्री जी/मा० मुख्य मंत्री जी के समक्ष अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो सके।

4–कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,

अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव (नाम से)

पृष्ठांकन पत्र संख्या–1245(1)/39–2–08–12(5)/74 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
एस० के० रघुवंशी,
विशेष सचिव।